वित्त समिति की बैठक 15.10.2015 के कार्यवृत्त

आज दिनांक 16.07.2014 को वित्त समिति की बैठक प्राचार्य कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे–

1– डॉ. जे.पी. शिवहरे, प्राचार्य
2– श्री उदय चौरसिया, सीए
3– डॉ. व्ही.के. शर्मा, सदस्य
4– डॉ. डी.डी. कश्यप, सदस्य
5– डॉ. डी.पी. देवांगन, सहायक परीक्षा नियंत्रक
5– डॉ. कावेरी दाभड़कर, प्रभारी स्वशासी समिति

बैठक में सर्वप्रथम सभी सम्मानीय सदस्यों के प्राचार्य डॉ. जे.पी. शिवहरे द्वारा स्वागत के पश्चात स्वशासी प्रभारी डॉ. कावेरी दाभड़कर द्वारा गत बैठक के कार्यवृत्त का पठन किया गया जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार किया। तत्पश्चात आज के विभिन्न प्रस्ताव को क्रमानुसार इस प्रकार रखा गया।

प्रस्ताव – 1 <u>आनर्स परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का प्रस्ताव</u>

महाविद्यालय में सत्र 2015–16 से आनर्स पाठयक्रम कियान्वित हो गया है। प्रवेश शुल्क में इस पाठयकम हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। परीक्षा संबंधी विविध कार्यों के संपादन जैसे परीक्षा प्रश्नपत्र की सेटिंग, मुद्रण, प्रायोगिक कार्य, अंकसूची आदि के लिए परीक्षा शुल्क में वृद्धि आवश्यक है। अतः सभी विभागाध्यक्षों की बैठक (23.08.2015) व आई.क्यू.एसी. को बैठक (21.09.2015) तथा अकादमिक कौन्सिल बैठक (07.09.2015) की सहमति से आनर्स पाठयकम में परीक्षा शुल्क 100/– लेने का प्रस्ताव वित समिति के समक्ष प्रस्तुत।
निर्णय – प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क 100/– लेने का प्रस्ताव वित समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया।

प्रस्ताव 2 – <u>स्वशासी अनुदान 2013–14 के अंतर्गत किये गये व्यय का अनुमोदन</u>

महाविद्यालय को सत्र 2013–14 हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भोपाल द्वारा स्वशासी अनुदान रू. 20,00,000/– (पत्र क्रमांक 19-16(17) / 87 (B1) desk AC / CRO दिनांक 20.03.2014) प्राप्त हुआ है। यह राशि शासकीय कय नियम के पालन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मदों के अनुसार व्यय की जा चुकी है। व्यय किये गये राशि की अंकेक्षित रिपोर्ट अवलोकनार्थ व संस्तुति हेतु प्रस्तुत। साथ ही 2011–12, 2012–13, 2014–15 के लिए स्वशासी अनुदान की प्रत्याशा में किये गये व्यय का विवरण भी यू.जी.सी को समायोजन हेतु भेजनें की सस्तुंती हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।

निर्णय – सभी सदस्यों ने किये गये राशि की अंकेक्षित रिपोर्ट का अवलोकन किया में सर्वसम्मति से इसे सस्तुत किया। साथ ही डॉ. वी.के. शर्मा द्वारा सलाह दी गई कि आगामी अनुदान आने पर व्यय पर वित्त समिति की सलाह लेने के पश्चात् ही व्यय की प्रक्रिया प्रांरभ की जाए।

प्रस्ताव 3 – विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक के द्वारा अंकसूची में प्रतिहस्ताक्षर हेतु पारिश्रमिक का प्रस्ताव।

महाविद्यालय के विभिन्न परीक्षाओं की अंकसूची को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है। महाविद्यालय के प्राचार्य व परीक्षा नियत्रंक को अंकसूची स्वहस्ताक्षारित करने हेतु पारिश्रमिक दिया जाता है। पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा नियंत्रक की ''मुद्रा'' लगाकर यह कार्य किया जाता था। वर्तमान में प्रतिहस्ताक्षरित सील के स्थान पर स्वहस्ताक्षरित अंकसूची होती है। अतः विभिन्न परीक्षाओं के अंकसूची पर स्वप्रतिहस्ताक्षर हेतु विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को 3/– प्रति अंकसूची पारिश्रमिक करने का प्रस्ताव प्रस्तुत।
निर्णय– सभी सदस्यों ने विचार विमर्श किया एवं परीक्षा नियंत्रक द्वारा सूचना दी गई कि विवि से संबध्द महावि. द्वारा क्रमशः 3 रु. (शा.ईई आर विज्ञान महावि. बिलासपुर) व 5 रु(केजी महावि. रायगढ़) द्वारा लिया जाता है अतः दोनो माहविद्यालयों में से न्यूनतम राशि को ही इस महावि. द्वारा दिये जाने की अनुशंसा की।

प्रस्ताव – 4 परीक्षा आवेदन पत्र विलंब शुल्क का प्रावधान।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.07.2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार छात्राओं को परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने की परीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन न देने पर 200/– विलंब शुल्क (10 दिन) का निर्धारित किया गया था। वर्तमान में अनेक छात्राएं 10 दिनों के उपरांत भी फार्म जमा करने हेतु जागरूक नहीं रहती है। अतः समय सीमा में कार्य संपादन व छात्राओं को परीक्षा फार्म के जमा करने जैसे संवेदनशील मुद्दे के प्रति गंभीर करने हेतु 10 दिनों पश्चात यदि कोई छात्रा परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं करती तो प्रतिदिन 50/– की दर से अतिरिक्त विलंब शुल्क जमा करने का प्रस्ताव विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा यह राशि रू.100 रखी गयी है।
निर्णय– इस प्रस्ताव का सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया परतु इसे व्यावहारिक बनाने की सलाह दी डॉ. वी.के. शर्मा ने सलाह दी की महाविद्यालय की छात्राएं गरीब है अतः इसे 10रु प्रतिदिन करना उचित होगा। सभी सदस्यों ने इसे स्वीकृत किया।

प्रस्ताव – 5 नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद विलंब शुल्क हेतु प्रस्ताव

महाविद्यालय में नामांकन शुल्क प्रवेश के समय ही ले लिया जाता है। किंतु व्यवहार में यह देखा जाता है कि छात्राएं परीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक नामांकन पत्र भरकर जमा नहीं करती है। अतः निर्धारित तिथि के 10 दिनों तक नामांकन प्रपत्र जमा नहीं करने की स्थिति में 100/– विलंब शुल्क तथा यदि 10 दिनों के भीतर भी कोई छात्रा नामांकन पत्र जमा नहीं करती तो 50/– प्रतिदिन अतिरिक्त विलंब शुल्क का प्रस्ताव विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय– इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर शुल्क राशि को 50 के स्थान पर 20रु करने का निर्णय लिया एवं परिक्षण करने के पश्चात यदि फिर भी छात्राओं के द्वारा विलब से फार्म भरना जारी रहा तो वित्त समिति की अनुशंसा से इसे 50/– प्रतिदिन अतिरिक्त विलंब शुल्क कर दिया जावेगा।

प्रस्ताव – 6 डाटा एंट्री आपरेटर की नियुक्ति

महाविद्यालय में छ.ग. शासन की परियोजना Student Life Cycle व Know Your College के अंतर्गत छात्राओं की समस्त व्यक्तिगत जानकारी कम्प्यूटरीकृत की जानी है। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा आदि का भी कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। इस हेतु शासन द्वारा Chips के माध्यम से Software प्रदत्त किये गये हैं। जिसमें महाविद्यालय की समस्त जानकारी Upload करनी है साथ ही अध्ययनरत छात्राओं का विस्तृत विवरण भी Upload करना होगा। स्वशासी कार्यालय में कार्यरत कम्प्यूटर टायपिस्ट द्वारा परीक्षा संबंधी कार्यो का संचालन किया जाता है। अतः इस कार्य हेतु एक Data Entry Operator की आवश्यकता होगी। इस कार्य के लिए Data Entry Operator को रू. 8000/– प्रतिमाह देय होगा। यह व्यय स्वशासी विकास मद के द्वारा किया जावेगा। अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत।

निर्णय– इस प्रस्ताव का सभी सदस्यों ने अनुमोदन एवं प्रस्ताव यथावत पारित किया।

प्रस्ताव – 7 स्वशासी प्रकोष्ठ में तृतीय श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति का प्रस्ताव।

वर्तमान समय में महाविद्यालय में सी.बी.सी.एस. प्रणाली, सेमेस्टर व आनर्स व्यवस्था क्रियान्वित की जा चुकी है। इसके फलस्वरूप स्वशासी विभाग में कार्यो की अधिकता के कारण महाविद्यालय के ही एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को अंशकालीन रूप से संलग्न किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है। इस कार्य के लिए 500/– प्रतिमाह मानदेय दिया जावेगा।

निर्णय– इस प्रस्ताव का सभी सदस्यों ने अनुमोदन एवं प्रस्ताव यथावत पारित किया।

प्रस्ताव – 8 <u>महाविद्यालय के स्वशासी विभाग के बजट 2015–16 का अवलोकन व अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।</u>

निर्णय– इस प्रस्ताव का सभी सदस्यों ने अवलोकन किया एवं प्रस्ताव यथावत पारित किया।

..00..